वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 24.10.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण, अमर उजाला, आज, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, ज्ञानशिखा टाइम्स, जनसंदेश टाइम्स, न्यायाधीश, जागरूक एक्सप्रेस, परफेक्ट मिशन," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 24.10.2024

रोपवे का टावर• जागरण

गिरिजाघर को ही बनाएंगे अंतिम स्टेशन

वीडीए के सहायक अभियंता लाला सुमन ने बताया कि प्रोजेक्ट में बदलाव हुआ है। अब गोदौलिया पार्किंग स्टेशन होगा, जबकि गिरिजाघर पर पब्लिक स्टेशन बनाया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर इसके लिए सहमति बन चुकी है। इस हिसाब से कार्य होगा ताकि लोगों को जाम से छुटकारा मिल जाए। रथयात्रा के आगे टावर लगाने का विवाद सुलझ गया है व मुआवजा देकर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

अमर उजाला–दि0 24.10.2024

106 बकायेदारों पर वीडीए का 6 करोड़ बाकी

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण सभागार में अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने जोन-1, जोन-2 की समीक्षा बैठक की। बताया गया कि जोन-1 में 18 लोगों पर 1,68,90,404 बकाया है जबकि जोन-2 में 4,12,26,361 बकाया है। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि अभियान बनाकर कार्रवाई करें और अगले 15 दिनों में बकाया जमा कराएं। इसके साथ ही सील प्रकरणों की जांच पूरी करें बेसमेंट खाली कराकर पार्किंग के लिए जगह सुनिश्चित कराएं। ब्यूरो

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज–दि0 24.10.2024

ट्रांसपोर्टनगरमें रेलवे लेगी पांच हेक्टेयर जमीन

रेलवे वाराणसी विकास प्राधिकरणसे ट्रांसपोर्ट नगर योजनामें पांच हेक्टेयर जमीन लेगी। सम्बन्धित विषयमें बुधवारको परियोजनाके एजीएम डीएफसीसीआईएल ने विभागके अधिकारियोंके साथ मौकेका निरीक्षण किया। इस योजनाके तहत रेलवे साइडिंग स्थापित करनेके लिए २५ हेक्टेयर जमीनकी मांग की है। जिसके आधारपर विकास प्राधिकरणके तहसीलदार सुनील श्रीवास्तव अपनी टीमके साथ मौकेपर पहुंचे। इस परियोजनामें ट्रांसपोर्टनगरको सीधे रेलवे नेटवर्कसे जोड़ा जायेगा और ट्रांसपोर्टनगर योजनाके उद्देश्यको सार्थक बनानेमें यह सुगम रास्ता बनेगा जिससे कि स्थानीय व्यापारियोंकी गतिविधियां बढ़ेगी। रेलवे साइडिंगके निर्माणसे ट्रांसपोर्टनगरको क्षेत्रीय राष्ट्रीय व्यापारसे जोड़नेमें मदद मिलेगी। जिससे कि वाराणसीके व्यापारियोंको औद्योगिक विकासमें गति मिलेगी। इसी को देखकर रेलवेके प्रमुख अधिकारियोंके साथ विप्राके तहसीलदार, सहायक अभियन्ता देवेश गुप्ता, शिवाजी मिश्र, आर्टिटेक गोविन्द श्रीवास्तव मौजूद रहे।

आज–दि0 24.10.2024

सचिव और अपरसचिवने की विभागीय कार्योंकी समीक्षा

विप्राके सचिव वेदप्रकाश मिश्रने बुधवारको जोन तीन से सम्बन्धित समन मानचित्र, बकाया जमा, शिकायतोंके निस्तारण एवं प्रवर्तन कारवाईके विषयमें संबंधित अधिकारियोंसे आवश्यक जानकारी ली। जिसमें आवंटित क्षेत्रमें अवैध निर्माण कार्योंपर हुई कारवाई की जानकारी प्राप्त की जिसमें कि पार्किंग, बेसमेंट खाली कराये जाने एवं ध्वस्तीकरणपर व्यापक चर्चा की। इसके बाद उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियोंको निर्देश दिया कि समन मानचित्रपर आवश्यक निर्णय लिया जाय और इसमें विलम्बित करनेपर कारवाई की जायेगी। वहीं अपर सचिवने जोन एक और जोन २ की समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि शिवपुर वार्डमें २०,५४,००३.०० राशि जमा करायी गयी है। जबकि कुल समन राशि पांच करोड़, ५८ लाख, ९८ हजार, ४१३ रुपया १८ बकायेदारोंका बकाया एक करोड़, ६८ लाख ९० हजार चार सौ चार रुपया बकाया है। इसी प्रकार सारनाथ, जैतपुरा, आदमपुरामें ३७ लाख ५७ हजार ८०९ रुपया जमा कराया गया है। जबकि बकाया है ५ करोड़ ४९ लाख ५८ हजार ३०६ रुपया। यहांपर ८५ बकायेदारोंपर चार करोड़, बारह लाख, २६ हजार ३६१ रुपया बकाया है। बकाया राशि न जमा करनेवालोंके खिलाफ प्रवर्तन और कानूनी कारवाई की जायेगी और अबतक जमा की गयी धनराशिको जब्त भी किया जा सकता है। इसके लिए १५ दिनकी मोहल्लत देनेका निर्देश दिया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान–दि0 24.10.2024

अवैध निर्माण पर दो भवनस्वामियों ने जमा किया अर्थदंड

वाराणसी। वीडीए की ओर से सारनाथ और सिकरौल वार्ड में अवैध निर्माण के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में सीजेएम न्यायालय के आदेश के बाद दो भवनस्वामियों ने अर्थदंड जमा कर दिया है। दो भवनस्वामियों पर क्रमश: 40 हजार और 15 हजार रुपये जुर्माना न्यायालय ने लगाया था। यह कार्यवाही उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-26(1) और 28(4) के तहत की गई थी।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 24.10.2024

वीडीए की ट्रांसपोर्ट नगर योजना में रेलवे साइडिंग के लिए पांच हेक्टेयर जमीन का निरीक्षण

वाराणसी (एसएनबी)। विकास प्राधिकरण की तरफ से रोहनिया में विकसित की जा रही ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अंतर्गत परियोजना को रेलवे से जोड़ने के लिए बुधवार को एजीएम डीएफसीसीआईएल रेलवे द्वारा अपनी टीम के सांथ स्थल का निरीक्षण किया गया। इस योजना के तहत रेलवे साइडिंग स्थापित करने के लिए 5 हेक्टेयर जमीन की मांग की गई है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वाराणसी विकास प्राधिकरण के तहसीलदार सुनील श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे। इस मौके पर सहायक अभियंता देवेश गुप्ता, सहायक अभियंता शिवाजी मिश्रा और आर्किटेक्ट गोविंद श्रीवास्तव भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमें रेलवे साइडिंग स्थापित करने और इससे ट्रांसपोर्ट नगर को सीधे रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। ट्रांसपोर्ट नगर योजना का उद्देश्य क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं को सुगम बनाना और स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को सुदृढ़ करना है। रेलवे साइडिंग के निर्माण से ट्रांसपोर्ट नगर को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्रों से जोड़ने में मदद मिलेगी, जिससे वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों के व्यापारिक और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा यह योजना फेज-1 में लागू की जा रही है, और रेलवे साइडिंग के लिए जमीन की मांग के बाद यह परियोजना और तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 24.10.2024

अवैध निर्माण पर 55,000 रुपए का जुर्माना

वाराणसी। वीडीए को सारनाथ और सिकरौल वार्ड में अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कानूनी कार्यवाही में महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया है। वीडीए की प्रभावी पैरवी के बाद, सीजेएम न्यायालय, वाराणसी ने अभियुक्तों पर कुल 55,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। न्यायालय में योजित परिवाद संख्या-1302/2006 (वीडीए बनाम उषा सिंह) और परिवाद संख्या-18983/2014 (वीडीए बनाम विजयानंद शुक्ला) पर सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने अभियुक्तों पर क्रमशः 40,000 रुपये और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किया जाता, तो अभियुक्तों को क्रमशः 10 दिन और 2 माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्तों द्वारा कुल 55,000 रुपये का जुर्माना समय पर जमा कर दिया गया है। यह कार्यवाही नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-26(1) और 28(4) के तहत की गई थी। विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए इसे न्यायालय तक पहुंचाया, जिसके परिणामस्वरूप यह जुर्माना वसूला गया।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 24.10.2024

वीडीए उपाध्यक्ष ने आवासीय योजना का किया निरीक्षण

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बुधवार को रामनगर आवासीय योजना ग्राम-पंचायत पटनवां, बस्त नगर जिला चंदौली का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सेप्टिक टैंक एवं सीवर लाइन की सफाई कराने तथा सीवर लाइन के ओवरफ्लो, जल निकासी की गुणवत्ता का परीक्षण कराने, रिक्त संपत्ति है उनकी मरम्मत कराने एवं ग्राम प्रधान को कूड़ा-कचरा संग्रहण घर के लिए भूमि आवंटित करने तथा आरडब्लूए का गठन कर अनुरक्षण शुल्क लगाने के लिए निर्देशित किया। जिससे कि अवस्थापना सुविधाओं का रखरखाव किया जा सके। मौके पर ग्राम प्रधान, अधीक्षण अभियंता अजय पवार, संपत्ति अधिकारी राजीव जायसवाल, सहायक संपत्ति अधिकारी रमेश दुबे, जोनल अधिकारी श्रीप्रकाश कुमार, जेई रोहित जायसवाल व सहायक अभियंता निर्माण मौजूद रहे।

वीडीए सचिव ने शमन मानचित्र को लेकर की समीक्षा

वाराणसी। वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में जोन-3 से संबंधित शमन मानचित्र निस्तारण, बकाया जमा, शिकायत निस्तारण, प्रवर्तन कार्यवाही की साप्ताहिक समीक्षा की गयी। इसमें आवंटित क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण कार्यों को बंद कराने, पार्किंग के लिए बेसमेंटों को खाली कराने के संबंध में, अवैध प्लॉटिंग का ध्वस्तीकरण कराने, अवैध पेट्रोल पम्पों की जांच कर उनका मानचित्र स्वीकृति करने के लिए अभियान चलाने व क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों के सापेक्ष अधिक से अधिक संख्या में शमन मानचित्र दाखिल कराने के लिए निर्देशित किया। जोन-3 में अधिक संख्या में शमन मानचित्र लंबित पाने पर जोनल अधिकारी व अवर अभियंता को समीक्षा कर जल्द से जल्द निस्तारण के लिए निर्देशित किया। बैठक में जोनल अधिकारी (जोन-3) सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता (जोन-3) रविन्द्र प्रकाश व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 24.10.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव ने की बैठक

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण में सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में जोन-3 से सम्बंधित शमन मानचित्र निस्तारण , बकाया जमा , शिकायत निस्तारण , प्रवर्तन कार्यवाही इत्यादि की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गयी द्य जिसमे आवंटित क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण कार्यों को बंद कराने, पार्किंग हेतु बेसमेंटों को खाली कराये जाने के संबंध में, अवैध प्लोटिंग का ध्वस्तीकरण कराने, अवैध पेट्रोल पम्पो की जाँच कर उनका मानचित्र स्वीकृति हेतु अभियान चलाने व क्षेत्रान्तार्गत हो रहे अवैध निर्माणों के सापेक्ष अधिक से अधिक संख्या में शमन मानचित्र दाखिल कराने हेतु निर्देशित किया गयाद्य जोन-3 में अधिक संख्या में शमन मानचित्र लंबित पाए जाने पर जोनल अधिकारी व अवर अभियंता को समीक्षा कर शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया । बैठक के दौरान जोनल अधिकारी(जोन-3) सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता (जोन-3)रविन्द्र प्रकाश व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 24.10.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने किया स्थलीय निरीक्षण

वाराणसी। बुधवार को उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा रामनगर आवासीय योजना ग्राम-पंचायत पटनवां, बस्त नगर जिला चंदौली का निरीक्षण किया गया जिसमें

सेप्टिक टैंक एवं सीवर लाइन की सफाई कराने तथा सीवर लाइन के ओवरफ्लो जल निकासी के गुणवत्ता का परीक्षण कराने, जो रिक्त संपत्ति है उनका मरम्मत कराने एवं ग्राम प्रधान को कूड़ा- कचरा संग्रहण घर के लिए भूमि आवंटित करने तथा आर0डब्लू0ए का गठन कर अनुरक्षण शुल्क लगाए जाने के लिए निर्देशित किया गया, जिससे कि अवस्थापना सुविधाओं का रखरखाव किया जा सके। मौके पर ग्राम प्रधान, अधीक्षण अभियंता अजय पवार ,संपत्ति अधिकारी राजीव जैसवाल , सहायक संपत्ति अधिकारी रमेश दुबे ,जोनल अधिकारी श्रीप्रकाश कुमार, जे0ए0ई रोहित जैसवाल एवं सहायक अभियंता निर्माण उपस्थित रहें।

जनसंदेश टाइम्स–दि0 24.10.2024

वीडीए 15 दिनों में 85 बकायेदारों से करे वसूली

लापरवाही पर ऐक्शन होगा

वीडीए अपर सचिव ने शमन शुल्क की कम वसूली और मानचित्र निस्तारण में की देर की समीक्षा

वाराणसी। वीडीए की बुधवार को सभागार में हुई बैठक में वीडीए अपर सचिव डा. गुडाकेश शर्मा ने जोन-1 और जोन-2 के शमन शुल्क की कम वसूली और मानचित्र निस्तारण में हो रहे देर को लेकर समीक्षा की। वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर आयोजित बैठक में उन्होंने जोन-1 के शिवपुर, सिकरौल और विन्यास वार्डों में शमन शुल्क की वसूली में कोताही किये जाने पर जहां नाराजगी जाहिर की,वहीं कुल 85 बकायेदारों से 15 दिन में वसूली नही किये जाने पर सख्त कार्रवाई किये जाने की चेतावनी दी है। वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर आयोजित बैठक में उन्होंने लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार जहां जानकारी हासिल की ,वहीं उसके तत्काल निस्तारण कराये जाने का निर्देश दिया।

इस दौरान उन्होंने एक सप्ताह में शमन शुल्क के मद में कुल 20,54003.00रू.जमा कराये जाने और इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू.-5,58,98,413.00 वसूल किये जाने के बाद भी अभी भी कुल 18 बकायेदारों के सापेक्ष कुल रू.-1,68,90,404.00 बकाया रहने पर संबंधित अधिकारी को फटकार लगाई।

जोन-2, सारनाथ, जैतपुरा, आदमपुर एवं विन्यास में विगत एक सप्ताह में शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू.37,57,809.00 जमा कराये जाने तथा वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-5,49,58,306.00 वसूल किये जाने के बावजूद भी अभी भी कुल-85 बकायेदारों के सापेक्ष कुल रू0 4,12,26,361.00 बकाया रखे जाने पर असंतोष व्यक्त किया, वहीं अवर अभियन्ता एवं फील्ड स्टाफ से 15 उक्त बकाये धनराशि को 15 दिनों में जमा कराये जाने के साथ निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कारवाई करने का जोनल अधिकारी को निर्देश दिया।

इस दौरान उन्होंने सील प्रकरणों की जांच कराने ,बेसमेन्ट खाली कराने और पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का को कहा। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में कोताही पर चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का प्राथमिकता पर शिकायत सुनिश्चित कराई जाय।

इस अवसर पर जोन-1 के जोनल अधिकारी, सिंह गौरव जयप्रकाश, अवर अभियन्ता, अतुल मिश्रा, जोन-2 के जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार एवं अवर अभियन्ता विनोद कुमार आदि लोग उपस्थित रहे।

जनसंदेश टाइम्स–दि0 24.10.2024

रेलवे साइडिंग के लिए 5 हेक्टेयर जमीन की जुगत में लगा वीडीए

वाराणसी। परिवहन सुविधाओं को सुगम बनाने और व्यापारिक तथा औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से ट्रांसपोर्ट नगर योजना के लिए जल्द जमीन की व्यवस्था होगी। इसके लिए वीडीए ने रोहनिया में विकसित की जा रही ट्रांसपोर्ट नगर योजना का औचक निरीक्षण किया ,वहीं परियोजना को रेलवे से जोड़ने के लिए बुधवार को एजीएम डीएफसीसीआईएल रेलवे की टीम के साथ पूरी स्थिति को जाना और समझा। इस योजना के तहत रेलवे साइडिंग स्थापित करने के लिए 5 हेक्टेयर जमीन की मांग किये जाने और इस परियोजना को तेजी से बढाये जाने के लिए जमीन की व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया गया और परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। जिसमें रेलवे साइडिंग स्थापित करने और इससे ट्रांसपोर्ट नगर को सीधे रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस अवसर पर वीडीए के तहसीलदार सुनील श्रीवास्तव , सहायक अभियंता देवेश गुप्ता, सहायक अभियंता शिवाजी मिश्रा और आर्किटेक्ट गोविंद श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद थे।

जनसंदेश टाइम्स–दि0 24.10.2024

वीडीए की पैरवी के बाद कोर्ट का कड़ा फैसला

निर्णय

दो अवैध निर्माण पर सख्त जेल से बचने को भरा जुर्माना

वाराणसी। शहर के दो वार्डों में अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कानूनी कारवाई में महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया है। वीडीए विभाग की प्रभावी पैरवी से अवैध निर्माणकर्त्ता को जहां हालत पस्त हो गया और न्यायालय के निर्देश पर जुर्माना जमा करना पड़ा, वहीं समय से अर्थदण्ड नही जमा किये जाने पर दो माह के लिए कारावास की सजा से छुटकारा मिला गया। शहर के सारनाथ और सिकरैल वार्डों में अवैध निर्माण के बाद सी.जे.एम. न्यायालय, वाराणसी ने अभियुक्तों पर कुल 55,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। न्यायालय में योजित परिवाद वीडीए बनाम उषा सिंह और परिवाद वीडीए बनाम विजयानंद शुक्ला पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्तों पर जहां कड़ा फैसला सुनाया है, वहीं क्रमशः 40,000 रुपये और 15,000 रुपये का जुर्माना वसूले जाने का निर्देश दिया। इस मामले में न्यायालय ने निर्माणकर्ता को फटकार लगाई और यह भी आदेश दिया कि यदि अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किया जाता तो अभियुक्तों को क्रमशः 10 दिन और 2 माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में अभियुक्तों ने कारावास की डर से कुल 55,000 रुपये का जुमार्ना समय पर जमा कर दिया।

न्यायाधीश–दि0 24.10.2024

रामनगर आवासीय योजना का उपाध्यक्ष वाविप्रा उपाध्यक्ष द्वारा किया गया निरीक्षण

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा पुलकित गर्ग द्वारा रामनगर आवासीय योजना ग्राम-पंचायत पटनवां, बस्त नगर जिला चंदौली का निरीक्षण किया गया जिसमें सेप्टिक टैंक एवं सीवर लाइन की सफाई कराने तथा सीवर लाइन के ओवरफ्लो जल निकासी के गुणवत्ता का परीक्षण कराने, जो रिक्त संपत्ति है उनका मरम्मत कराने एवं ग्राम प्रधान को कूड़ा-कचरा संग्रहण घर के लिए भूमि आवंटित करने तथा आर0डब्लू0ए का गठन कर अनुरक्षण शुल्क लगाए जाने के लिए निर्देशित किया गया, जिससे कि अवस्थापना सुविधाओं का रखरखाव किया जा सके। मौके पर ग्राम प्रधान, अधीक्षण अभियंता अजय पवार ,संपत्ति अधिकारी राजीव जैसवाल , सहायक संपत्ति अधिकारी रमेश दुबे ,जोनल अधिकारी श्रीप्रकाश कुमार, जे0ए0ई रोहित जैसवाल एवं सहायक अभियंता निर्माण उपस्थित रहें।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 24.10.2024

जोन-3 से सम्बंधित शमन मानचित्र निस्तारण इत्यादि की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित

वाराणसी।वाराणसी विकास प्राधिकरण में सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में 23 अक्टूबर को जोन-3 से सम्बंधित शमन मानचित्र निस्तारण , बकाया जमा , शिकायत निस्तारण , प्रवर्तन कार्यवाही इत्यादि की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गयी । जिसमे आवंटित क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण कार्यों को बंद कराने, पार्किंग हेतु बेसमेंटों को खाली कराये जाने के संबंध में, अवैध प्लोटिंग का ध्वस्तीकरण कराने, अवैध पेट्रोल पम्पो की जाँच कर उनका मानचित्र स्वीकृति हेतु अभियान चलाने व क्षेत्रान्तार्गत हो रहे अवैध निर्माणों के सापेक्ष अधिक से अधिक संख्या में शमन मानचित्र दाखिल कराने हेतु निर्देशित किया गयाट जोन-3 में अधिक संख्या में शमन मानचित्र लंबित पाए जाने पर जोनल अधिकारी व अवर अभियंता को समीक्षा कर शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया ।बैठक के दौरान जोनल अधिकारी(जोन-3) सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता (जोन-3)रविन्द्र प्रकाश व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे ।

न्यायाधीश–दि0 24.10.2024

वाविप्रा सभागार कक्ष में अपर सचिव द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक आयोजित

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा के निर्देशों के क्रम मे वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास मे विगत एक सप्ताह मे शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 20,54,003.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-5,58,98,413.00 जमा करायी गयी है, परन्तु अभी भी कुल 18 बकायेदारों के सापेक्ष कुल रू0-1,68,90,404.00 बकाया है एवं जोन-2, सारनाथ, जैतपुरा, आदमपुर एवं विन्यास मे विगत एक सप्ताह में शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0-37,57,809.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 मे माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-5,49,58,306.00 जमा करायी गयी है, परन्तु अभी भी कुल 85 बकायेदारों के सापेक्ष कुल रू0 4,12,26,361.00 बकाया है, जिसे विलम्बतम 15 दिवस मे जमा कराने हेतु अवर अभियन्ता एवं फील्ड स्टॉफको निर्देशित किया गया है। इस्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने के भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया। सील प्रकरणों की जाँच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह मे जनशिकायतों का प्राथमिकता पर शिकायत सुनिश्चित किया जाय। शहर मे हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक मे अधोहस्ताक्षरि द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारि को सौंपे गये कार्यो के प्रति को लापरवाही एवं शिथिलता न बरत जाय अन्यथा की स्थिति मे सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा। उक्त समीक्षा बैठक मे जोन-1 के जोनल अधिकारी, श्री सिंह गौरव जयप्रकाश अवर अभियन्ता, अतुल मिश्रा, जोन-2 के जोनल अधिकरी श्री संजीव कुमार एवं अवर अभियन्ता श्री विनोद कुमार सहित भवन लिपिक एवं फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।

वाविप्रा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना में किया गया रेलवे साइडिंग के लिए 5 हेक्टेयर जमीन का निरीक्षण

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा रोहनिया मे विकसित की जा रही ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अंतर्गत परियोजना को रेलवे से जोड़ने के लिए आज, 23 अक्टूबर 2024, को एजीएम डीएफसीसीआईएल रेलवे द्वारा अपनी टीम के साथ स्थल का निरीक्षण किया गया। इस योजना के तहत रेलवे साइडिंग स्थापित करने के लिए 5 हेक्टेयर जमीन की मांग की गई है, जिसे ध्यान मे रखते हुए यह निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान वाराणसी विकास प्राधिकरण के तहसीलदार सुनील श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे। इस मौके पर सहायक अभियंता देवेश गुप्ता, सहायक अभियंता शिवाजी मिश्रा और आर्किटेक्ट गोविंद श्रीवास्तव भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमे रेलवे साइडिंग स्थापित करने और इससे ट्रांसपोर्ट नगर को सीधे रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

जागरूक एक्सप्रेस–दि0 24.10.2024

वीडीए की टीपी नगर योजना में पांच हेक्टेयर जमीन का निरीक्षण

जिला संवाददाता

वाराणसी। विकास प्राधिकरण द्वारा रोहनिया में विकसित की जा रही ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अंतर्गत परियोजना को रेलवे से जोड़ने के लिए 23 अक्टूबर को एजीएम डीएफसीसीआईएल रेलवे द्वारा अपनी टीम के साथ स्थल का निरीक्षण किया गया। इस योजना के तहत रेलवे साइडिंग स्थापित करने के लिए 5 हेक्टेयर जमीन की मांग की गई है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वाराणसी विकास प्राधिकरण के तहसीलदार सुनील श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे। इस मौके पर सहायक अभियंता देवेश गुप्ता, सहायक अभियंता शिवाजी मिश्रा और आर्किटेक्ट गोविंद श्रीवास्तव भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमें रेलवे साइडिंग स्थापित करने और इससे ट्रांसपोर्ट नगर को सीधे रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। ट्रांसपोर्ट नगर योजना का उद्देश्य क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं को सुगम बनाना और स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को सुदृढ़ करना है। रेलवे साइडिंग के निर्माण से ट्रांसपोर्ट नगर को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्रों से जोड़ने में मदद मिलेगी, जिससे वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों के व्यापारिक और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा यह योजना फेज-1 में लागू की जा रही है, और रेलवे साइडिंग के लिए जमीन की मांग के बाद यह परियोजना और तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है।

वीडीए में विभिन्न कार्यों को लेकर हुई समीक्षा बैठक

जिला प्रतिनिधि :

वाराणसी। विकास प्राधिकरण में बुधवार को सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में जोन-3 से सम्बंधित शमन मानचित्र निस्तारण, बकाया जमा, शिकायत निस्तारण, प्रवर्तन कार्यवाही इत्यादि की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें आवंटित क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण कार्यों को बंद कराने, पार्किंग हेतु बेसमेंटों को खाली कराये जाने के संबंध में, अवैध प्लोटिंग का ध्वस्तीकरण कराने, अवैध पेट्रोल पम्पो की जाँच कर उनका मानचित्र स्वीकृति हेतु अभियान चलाने व क्षेत्रान्तार्गत हो रहे अवैध निर्माणों के सापेक्ष अधिक से अधिक संख्या में शमन मानचित्र दाखिल कराने हेतु निर्देशित किया गया। जोन-3 में

अधिक संख्या में शमन मानचित्र लंबित पाए जाने पर जोनल अधिकारी व अवर अभियंता को समीक्षा कर शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान जोनल अधिकारी (जोन-3) सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता (जोन-3) रविन्द्र प्रकाश व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

परफेक्ट मिशन–दि0 24.10.2024

वीडीए अपर सचिव ने की जोन 1 और जोन 2 की समीक्षा

लंबित शमन मानचित्रों का शीघ्र कराएं निस्तारण : डॉ0 गुड़ाकेश शर्मा

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देशों के क्रम में बुधवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु अपर सचिव द्वारा निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत एक सप्ताह में शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 20,54,003.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-5,58,98,413.00 जमा करायी गयी है, परन्तु अभी भी कुल 18 बकायेदारों के सापेक्ष कुल रू0-1,68,90,404.00 बकाया है एवं जोन-2, सारनाथ, जैतपुरा, आदमपुर एवं विन्यास में विगत एक सप्ताह में शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0-37,57,809.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-5,49,58,306.00 जमा करायी गयी है, परन्तु अभी भी कुल 85 बकायेदारों के सापेक्ष कुल रू0 4,12,26,361.00 बकाया है, जिसे विलम्बतम 15 दिवस में जमा कराने हेतु अवर अभियन्ता एवं फील्ड स्टॉफको निर्देशित किया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने के भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया। सील प्रकरणों की जाँच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का प्राथमिकता पर शिकायत सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है।

साथ ही बैठक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी को सौंपें गये कार्यों के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा।